प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002
Visit us: http:// upted.gov.in/directorate

–:आदेश:–

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0–04/2021/1/4/2011–का–4–2021 दिनांक–29.04.2021 में निहित प्राविधानानुसार **कर्मशाला अनुदेशक, काष्ठकला बैण्डवेतन रु0 9300–34800 सादृश्य ग्रेडवेतन रु0 4200/–** (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेबल–6) में न्यूनतम वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के **स्तम्भ–4** में अंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्वकृत सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें **शासनादेश संख्या–20/1/74–3 दिनांक–11.06.1975** में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थाई पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री कमलेश कुमार शुक्ला, पुत्र श्री ध्रुव नारायण शुक्ला, सी–623, बर्रा–8 कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।	ग्राम व पोस्ट–अनौस थाना इन्दरगढ़ जिला–कन्नौज उत्तर प्रदेश।	राजकीय पालीटेक्निक, सिकन्दरा कानपुर देहात

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित **"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991"** में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र।
6. स्थानीय पुलिस थाना से चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(मनोज कुमार)
निदेशक